

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2014/पौष 11, 1935

[रा.रा.स.क्षे.दि. सं. 210

N.C.T.D. No. 210

No. 1]

DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2014/PAUSHA 11, 1935

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 01 जनवरी, 2014

फा. सं. 23(2)/2013/वि.स.स.-5/विधायी/6401.—"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) के अनुरूप मैं एतद्द्वारा 03 जनवरी, 2014 को वह तिथि निश्चित करता हूँ, जिस दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा।

百./-

नजीब जंग

उपराज्यपाल, दिल्ली ।

पी.एन. मिश्रा, सचिव (वि.स.)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION

Delhi, the 01st January, 2014

No. 23(2)/2013/LAS-V/Leg./6401.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, I hereby fix the 3rd January, 2014 as the date on which the election of Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall be held.

Sd/-

NAJEEB JUNG

Lieutenant Governor, Delhi

P. N. MISHRA, Sccy. (L.A.)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 01 जनवरी, 2014

फा. सं. 23(1)/2013/वि.स.स.-5/विधायी/6398.—दिनांक 01 जनवरी, 2014 को उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

जबिक दिनांक 01-01-2014 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पाँचवी विधान सभा की प्रथम बैठक प्रारम्भ होने के तुरन्त पहले अध्यक्ष का पद रिक्त होगा और उपाध्यक्ष का पद पहले ही दिनांक 8 दिसम्बर, 2013 से रिक्त हो चुका है;

अत्एव, अब मैं एतद्द्वारा चौ. मतीन अहमद, सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नव निर्वाचित विधान सभा को, उक्त बैठक के प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये और तब तक के लिए, जब तक कि नये अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है, नियुक्त करता हूँ;

में एतद्द्वारा चौ. मतीन अहमद को ऐसे व्यक्ति के रूप में भी नियुक्त करता हूँ जिसके समक्ष राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नव निर्वाचित विधान सभा के सदस्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा-12 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

₹./

नजीब जंग

उपराज्यपाल, दिल्ली ।

पी.एन. मिश्रा, सचिव (वि.स.)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION

Delhi, the 01st January, 2014

No. 23(1)/2013/LAS-V/Leg./6398.—The following order of the Lieutenant Governor, Delhi, dated the 01st January, 2014 is hereby published for general information:—

Whereas the Office of the Speaker fall vacant immediately before the commencement of the first meeting of the Fifth Legilslative Assembly of the National Capital Terriotry of Delhi on 1st January, 2014 and the Office of the Deputy Speaker has already fallen vacant with effect from 8th December, 2013;

Now, therfore, I hereby appoint Ch. Mateen Ahmed a member of the newly elected Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi to perform the duties of the office of the Speaker from the commencement of the said meeting and until the new Speaker is elected;

I also hereby appoint Ch. Mateen Ahmed to be person before whom members of the newly elected Legislative of the National Capital Territory of Delhi shall make and subscribe to oath or affirmation in accordance with the provisions of section 12 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

Sd/-

NAJEEB JUNG Lieutenant Governor, Delhi P. N. MISHRA, Secy. (L.A.)